न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर टोडाभीम जिला करौली

0 न0 142/2022 तारीखरजू:– 14-11-22

उनवानः– सुनीता बनाम मंजू

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212

दिनांक	फर्द अहकाम	
14/11/22	सायल की और से अधिवक्ता श्री रामभरोसी गुप्ता एडवोकेट हाजिर सायल अधिवक्ता के अनुरोध पर कि प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है तथा सायलान के पक्ष मे अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नही किये जाने पर वाद व प्रार्थना पत्र का उद्देश्य ही असफल हो जायेगा। प्रार्थना पत्र अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा के बिन्दू पर वकील सायलान को सुना गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थीगण प्रश्नगत भूमि मे प्रार्थी के पक्ष में अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की जावे। प्रार्थना पत्र की प्रकृति एवं आकस्मिकता को देखते हुए गैरसायलान न0 1को दिनांक 15.12.2022 तक जरिये अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। कि विवादग्रस्त आराजी ख0न0 1440 रकवा 0.43, 1441/0.08 है0 **ग्राम भण्डारी अन्दरूणी** तहसील टोडाभीम मे आगामी पेशी तक सायल के हिस्से की भूमि मे मजाहमत मदाखलतन नही करे, तथा गैरसायल न0 1 ता 4 आगामी पेशी तक उक्त आराजीयात की रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है। कि अप्रार्थीगण के नोटिस तामिल को सामान्य व साधारण प्रकिया के साथ–साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेज व नोटिस आदि की प्रतिया रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना सुनिश्चित करे। तथा आगामी पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र तथा रसीद प्रस्तुत भी करे। तथा बहस हेतु तैयार नही होने पर आगामी सुनवाई को अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः निष्प्रभावी मानी जावेगी। प्रकरण को स्वच्छ हाथो से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एक पक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय के विवेकाधीन शक्तियो के तहत यह अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। लिहाजा प्रार्थीगण से यह अपेक्षा की जाती है। कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एक पक्षीय आदेश की तामिल की उपर्युक्तानुसार ठोस कार्यवाही कर इस न्यायालय को प्रमाण पेश करे। तथा आदेश 39 नियम (3) (क) के प्रावधानो की पालना सुनिश्चित करे। अन्यथा अंतरिम आदेश को आईन्दा तारीख पेशी तक विस्तारित करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार एवं अंतर्निहित शक्तियो का प्रयोग करेगा। जिन परिस्थितियो मे यह अंतरिम निषेधाज्ञा पारित की गई है मे परिवर्तन की दशा मे संशोधित/वैकेट कर दी जावेगी। अप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 15.12.2022 को पेश हो। (दुर्गा ... मीना) उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला करौली	7204-07 14-11-22

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 10:55:51 IST
Reason: SelfAttested

क्र	फर्द अहकाम
4/3/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्षकारान उपस्थित। समय अभाव के कारण आदेश नहीं सुनाया गया। वास्ते आदेश दिनांक 18.3.2024 को पेश हो।
18/3/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्षकारान उप॰। समय अभाव के कारण आदेश नही सुनाया गया। वास्ते आदेश दिनांक 30.4.2024 को पेश हो।
30/4/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्षकारान उप॰। समय अभाव के कारण आदेश नही सुनाया गया। वास्ते आदेश दिनांक 14.5.24 को पेश हो।
14/5/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्षकारान उपस्थित। समय अभाव के कारण आदेश नहीं सुनाया गया। वास्ते आदेश दिनांक 14.6.24 को पेश हो।
14/6/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। प्रार्थनापत्र के साथ प्रस्तुत वादपत्र फाईनल डिक्री किया जा चुका है। इसलिए अस्थायी प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में कोई कार्यवाही किया जाना शेष नहीं है। प्रार्थना पत्र खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार [illegible] होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 10:55:51 IST
Reason: SelfAttested